


20/06/2023

पञ्चावली पेश हुई। अधिवक्ता रेसपोडेंट  
सेख्या-14 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र  
अन्तर्गत धारा 205 7 नियम 11 CPC एवं  
151 CPC को स्वीकार कर अनवानी  
विचारधीन अपील को खारिज करने  
का निवेदन किया गया। प्रार्थना-पत्र  
अन्तर्गत धारा 205 7 नियम 11 CPC एवं  
151 CPC का अधिवक्ता अपीलॉर द्वारा  
उदाहृत प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत उदाहृत  
प्रार्थना-पत्र में प्रार्थना-पत्र अधिसूचना 7 नियम  
11 CPC को खारिज करने का निवेदन  
किया। अधिवक्ता अपीलॉर एवं अधिवक्ता  
रेसपोडेंट सेख्या-14 की प्रार्थना-पत्र  
अन्तर्गत धारा 205 7 नियम 11 CPC पर ध्यान  
रखी गई। प्रार्थना-पत्र का अवलोकन  
किया गया एवं अधिवक्ताओं की  
वहल पर मनन किया गया। पञ्चावली  
देखने पर ज्ञात होता है कि उक्त  
प्रश्नाधीन मामलतरी न्यायालय सहायक  
जज, नोडर के अधिसूचना दिनांक  
05/10/1984 के आधार पर भरा गया है।

उक्त वाद में अपीलॉट कहीं भी पलकार  
नहीं है अपीलॉट अगर व्यर्थ थे तो, अधीनस्थ  
-भाषालय सहायक कलक्टर, नोहर के यहाँ  
पलकार बनना चाहिए था। अब अपीलॉट  
को उक्त नियम की पालना में दर्ज  
नामानरण को इस -भाषालय में चुनौती  
 देने का अधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त पत्र  
रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है एवं अपील  
निरस्त की जाती है। पत्रावली संख्या 10/2023  
दोस्त नंबर से कम दोस्त वारिकल दफ्तर है।

  
20/6/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
नोहर (हनुमानगढ़)